


198

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला
रीवा म0प्र0



P.5141-II/117

Rs. 30/-

रामलाल साकेत पिता श्री छोटकामन साकेत निवासी ग्राम डभौरा तह0
जबा जिला रीवा म0प्र0

आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- शासकीय कन्या हाई स्कूल डभौरा तह0 जबा जिला रीवा म0प्र0
- 2- म0प्र0 शासन

अनावेदकगण / गैर निगरानीकर्तागण
निगरानी विरुद्ध श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय,
रीवा सम्भाग रीवा म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र0
645 / अपील / 16-17 आदेश दिनांक
20-03-17 ।

अधि० श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर
द्वारा प्रस्तुत / 30-3-17

[Signature]
कलक आदेश कोर्ट
राजस्व मण्डल ग्वालियर
(रीवा जिला) रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0स0
1959ई

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय, के न्यायालय में आवेदक / निगरानी कर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया है और ना ही उसे कोई सम्मन सूचना दिया गया है उसके पीठ पीछे माननीय कलेक्टर महोदय, उसके अधिपत्य की भूमि पर गैर निगरानीकर्ता क्र0 1 कन्या हाई स्कूल डभौरा दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है जो विधि


[Signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5141-II/17

जिला-रीवा

रामलाल साकेत/शास. कन्या हा. डभौरा

(1)	(2)	(3)
25.05.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M